

[Shri Iqbal Singh]

ment. We will do only a part of the job. What the West Bengal Government and the Bridge Commissioners will say, whether they will require consultancy or not I do not know. It is not for me, it is for the West Bengal Government to decide, but they have told me that they will take at least five years and they will try to complete it within that time from the start of the work.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.11 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE, ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE ORDINANCE; AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE BILL

MR. SPEAKER: We take up the Resolution and the Bill. They will be discussed together as already intimated. The time allotted is two hours.

AN HON. MEMBER: The time may be extended.

MR. SPEAKER: This has been fixed by the Business Advisory Committee and approved by the House.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एसेन्शियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) कंतिन्यूंस बिल, 1970 के डिसऐप्रूवल का प्रस्ताव, जिसके लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, इस सदन के सामने रखता हूँ। अगर इस बिल की बैंकब्राउंड देखी जाय तो उसके सम्बन्ध में सन् 1964 में जो उस समय के प्रधान मंत्री थे उन्होंने कहा था कि देश में अनाज की बहुत कमी है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, इसको रोकने के लिए कोई ऐसा बिल आना चाहिए, ऐसा

कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें समरी ट्रायल की व्यवस्था हो और जल्दी ही कुसूरवार को सजा दी जा सके। इस चीज को सामने रखते हुए 1964 में यह बिल दो साल के लिए बनाया गया था, और यह विश्वास दिलाया गया था कि जब यह स्थिति हट जाएगी तब यह चीज समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 1966 से 1968 तक यह चला और अब मंत्री महोदय कहते हैं कि यह कानून 1971 तक चलना चाहिए। यह एक गंभीर मामला है।

मेरा जो डिसऐप्रूवल का प्रस्ताव है उसके दो कारण हैं। एक तो यह कि अच्छा होता अगर इस अध्यादेश के बजाय यह सरकार यह बिल इस सदन के सामने लाती। जो पार्लियामेंट की प्रोप्रायटी है उसको तोड़कर, उसको परे छोड़कर सरकार छोटी-बड़ी हर एक चीज के लिए अध्यादेश जारी करती है, वह समय पर जगती नहीं। अगर सरकार को यह मालूम था कि इसका समय बीतता जा रहा है, और आज भी अगर उसकी आवश्यकता है तो सरकार का यह फर्ज था कि वह पहले जगती और इसको इस सदन के सामने लाती। कौन सा विधेयक और कौनसा प्रस्ताव इस सदन में कब आना चाहिए, यह देखना सरकार के चीफ व्हिप का काम है और सरकार का काम है, उनको इसके लिए समय निकालना चाहिए। बड़े दुःख की बात है. . .

अध्यक्ष महोदय : आप चीफ व्हिप पर बड़े मेहरबान हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : सरकार का सही। अगर यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है तो इसके लिए सरकार ने दो या तीन घंटे का समय पहले क्यों नहीं निकाला? क्यों बैंकडोर से इसके लिए अध्यादेश जारी किया। जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है उसके लिए मैं उसकी निन्दा करना चाहता हूँ।

इस बिल में क्या है? इस बिल में जो हमारे

फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसका क्लिअर वायोलेशन है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसका समरी ट्रायल करके सजा दी जा सकती है और कुछ कैसेज में तो अपील भी नहीं होगी। बगैर अपील के आप समरी ट्रायल के बेसिस पर कुछ लोगों को सजा देना चाहते हैं। क्यों? क्या आज वही स्थिति है जो 1964 में थी? क्या परिस्थितियां बदल गई हैं? 1964 में इस देश में डिटेंशन ऐक्ट था। आज हमने डिटेंशन ऐक्ट हटा दिया। केन्द्रीय सरकार ने हटा दिया। केन्द्रीय सरकार ने हटा दिया इतना ही नहीं, अधिकांश राज्य सरकारों ने डिटेंशन ऐक्ट नहीं बनाया। कारण यह है कि वह नहीं चाहती कि बगैर अदालत के सामने पेश किए, बगैर उनके साथ न्याय किए किसी आदमी को जेल में रक्खें, यह फंडामेंटल स्पिरिट के खिलाफ है। आज हमारा प्रजातन्त्र देश है, उसमें इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्या यह बिल ऐन्टी-डिमाक्रैटिक और ऐन्टी पीपल नहीं है। आप बगैर किसी को पूरा मौका दिए सजा देना चाहते हैं और फिर उसको अपील भी नहीं करने देना चाहते। मैं समझता हूँ कि यह चीज बहुत गलत है। इसका मतलब तो यह है कि आपको अपनी जुझाईश्र्मरी के ऊपर कांफिडेंस नहीं है। अगर आपका केस ठीक है तो आप अदालत जा सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। उसके कहने के बाद मजिस्ट्रेट जो फैसला करे वह आपको मानना चाहिए। आज भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस चीज का प्राविजम है कि कुछ कैसेज में समरी ट्रायल्स हो सकते हैं। आप एक नया कानून क्यों लाना चाहते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि कुछ कैसेज जैसे हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तहत सजा देनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है? कानून बनाए जाते हैं, शासन ने डेर-के-डेर उसके लगा रक्खे हैं। उनको पता भी नहीं है कौन-कौनसे कानून बनाए गए हैं और अप्लाई भी हो रहे हैं या नहीं, और ठीक अप्लाई हो रहे हैं या गलत अप्लाई हो

रहे हैं। इसलिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है।

आज तो स्थिति सुधर गई है, हमारे अनाज और खुराक की चीजों का पहले से बहुत अच्छा हाल है। हमारे यहां अनाज बहुत अच्छा पैदा हुआ है। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आज ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी आज से पांच-छः वर्ष पहले थी। आज पहले से ज्यादा सुविधा है चीजों के मिलने में। इसीलिए अभी सरकार ने यह कहा कि सारे देश में एक व्हीट जोन होना चाहिए। क्योंकि आज अनाज की पैदावार पहले से अच्छी है। अभी यह भी कहा गया कि 1971 तक हम पी० एल० 480 का अनाज बाहर से नहीं मंगावेंगे। जब यह परिस्थिति है तब क्या जस्टिफिकेशन है कि सरकार 1971 तक इस चीज को बढ़ाना चाहती है? क्यों 1971 तक यह बिल लागू रहे?

मैंने डिटेंशन ऐक्ट के बारे में कहा कि नक्सलाइट हैं जो खल्लमखल्ला कहते हैं कि हमारा सम्बन्ध चीन से है, रिवेल नागा कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं हैं, वह हथियार लेकर सरकार का खुल कर मुकाबला करते हैं। कलकत्ता के बाजारों में, नागालैंड और बंगाल में, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में यह सब कुछ हो रहा है। उनके लिए सरकार डिटेंशन ऐक्ट नहीं लाना चाहती, लोगों को पकड़ कर अन्दर नहीं करना चाहती। उनके लिए समरी ट्रायल्स नहीं हैं, लेकिन इन चीजों के लिए समरी ट्रायल्स हैं। मैं किसी गलत आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, किसी की हिफाजत नहीं करना चाहता। जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनको पूरी और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आप कहें कि अदालत के सामने नहीं जाना चाहिए। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि कहीं भी कोई ब्लैक मार्केटिंग करने वाला बचे, उसको कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कि उसकी आड़ में कोई गरीब आदमी

[श्री कंबर लाल गुप्त]

फंस जाय, ऐसा न हो कि कोई बेगुनाह फंस जाय। यह चीज मैं नहीं चाहता। इसलिए जब आज हालात सुधर गए हैं तब इस चीज की जरूरत नहीं है।

1964 से यह ऐक्ट लागू है। आज छः साल हो गए हैं। इस भ्रस में आपने कैसा काम किया है? क्या उद्देश्य था इस कानून को बनाने का? यही उद्देश्य तो था कि ठीक तरह से और रेग्युलेटिड सप्लाई हो, ठीक दामों पर हो, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, प्रोडक्शन ठीक हो। यही तो चार इसके उद्देश्य थे। क्या ये उद्देश्य पूरे हुए हैं? छः सालों में जो काम आपको करना चाहिए था क्या वह आपने किया है? मैं नहीं समझता कि इनमें से कोई भी उद्देश्य पूरा हुआ है। कतई पूरा नहीं हुआ है। आज जो हालत सुधरी है वह इस बिल के कारण नहीं, वह इस वास्ते सुधरी है कि पैदावार अच्छी हो गई है, भगवान की कृपा से वर्षा समय पर हो गई। मुख्यतः इसी कारण से हालत सुधरी है। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है।

इस ऐक्ट के अन्दर जो अधिकार दिए गए थे उसका क्या नतीजा निकला है। नतीजा यह निकला है कि वैस्टिड इंटररेस्ट्स पनपे हैं। आपके पास लाइसेंस देने की पावर है, कंट्रोल करने की पावर है, कीमतें तय करने की पावर है। क्या इन पावरों का आपने सही इस्तेमाल किया है? आपके नजदीक जो वैस्टिड इंटररेस्ट थे, आपके नजदीक जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की क्लास थी, उसको आपने थपकी दी है, उसको आपने बड़ा बना दिया है और जो छोटे-छोटे लोग थे उनको आपने अन्दर किया है। उसके ही खिलाफ आपने एक्शन लिया है। कनसंट्रेशन आफ वैल्यू जो पहले कम था वह छः सालों में और भी ज्यादा बढ़ गया है रेग्युलेशन के नाम पर। एक ही क्लास को आपने भागे बढ़ाया है और दूसरी को आपने नीचे फेंका है।

चीनी के बारे में आपने क्या निर्णय किया? आपने कहा कि इतने परसेंट चीनी

खुले बाजार में बिकेगी और इतने परसेंट राशन में मिलेगी। लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा भारी गोलमाल हुआ है, करोड़ों का गोलमाल हुआ है। चीनी मिलों से करोड़ों रुपया चन्दे के तौर पर इकट्ठा किया गया, इस वास्ते यह सब हुआ। मैं नहीं कहता किसने किया, मैं नहीं जानता किसने किया। लेकिन यह कह सकता हूँ कि पैसा लिया गया और उस हिसाब से इसको तय किया गया कि इतनी खुली मार्किट में आएगी और इतनी राशन में जाएगी, कंट्रोल में जाएगी। इस ऐक्ट को आपने पोलिटिकल ब्लेकमेलिंग का साधन बनाया। गरीब लोगों के फायदे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया। रेग्युलर सप्लाई एश्योअर करने का यह तरीका नहीं है। फेअर डिस्ट्रीब्यूशन का यह तरीका नहीं है। अपनी कुर्सी को मजबूत बनाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपने पैसा एंटा और पोलिटिकल ब्लेकमेलिंग से काम लिया।

कितने केसिस आपने पकड़े। आपने कहा कि 1969 में 8422 इसके तहत आपने केसिस पकड़े। चार हजार आदमी इसमें कनविक्ट किए गए। मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें कितने आदमी पकड़े गए? बिड़ला कंसर्न पर आपने केस चलाया इसी के तहत। मुकदमा जब कोर्ट में गया तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि दो नहीं चार साल पहले आपने वह आर्डर एनफोर्स किया था तो क्या उसको आपने नोटिफाई किया? तब इनको पता चला कि नोटिफाई नहीं हुआ वह। चार साल के बाद वह नोटिफाई हुआ और वह भी मैजिस्ट्रेट के प्वाइंट आउट करने पर। नतीजा यह हुआ कि बिड़ला साहब बिल्कुल साफ बच गए। वैस्टिड इंटररेस्ट इस बीच पनपे हैं। छोटे-छोटे दूकानदार जो तेल बेचते हैं, नमक बेचते हैं, चटनी बेचते हैं, उनको ही आपने पकड़ा है।

आपने इस में कहा कि रजिस्टर बयारह

मेटेन होने चाहिए। और भी टैक्नीकल बातें हैं जिन पर लोगों को अन्दर कर दिया जाता है, छोटी-छोटी बातों पर अन्दर कर दिया जाता है। उनको हेरास किया जाता है। इस सबका नतीजा यह हो रहा है कि जो भ्रफसर हैं वे खूब मस्ती से पैसा खाते हैं। यह कहा जाता है कि रजिस्टर में नाम का पता नहीं लगता है। दिल्ली के एक केस का मुझे मालूम है। एक भ्रादमी ने दूसरे को एक चीज बेची। उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। इस पर कहा गया कि तुमने पूरा घर का नम्बर नहीं दिया और इस आधार पर उस दूकानदार को पकड़ कर ले गए। उसने कहा कि पोस्टल एड्रेस है, सब कुछ है, लेकिन उसको कहा गया कि पोस्टल एड्रेस कुछ भी हो घर का पता होना चाहिए था क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कम्पलीट एड्रेस। चूँकि उन्होंने समझ लिया कि यह कम्पलीट नहीं है इस वास्ते उसको पकड़ कर अन्दर कर दिया। इस तरह से टैक्नीकल ग्राउंड्ज पर छोटे-छोटे लोगों को पकड़ कर अन्दर किया गया और बड़े-बड़े लोगों की पोलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए सहायता की गई।

आप देखें कि डालडा के दाम हर पन्द्रह दिन बाद बढ़ा दिए जाते हैं, वनस्पति के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लोग तो समझते हैं कि सरकार ने देखभाल करके दाम बढ़ाए होंगे, इस वास्ते चुप रह जाते हैं। वैस्टिड इंटरैस्ट अगर दाम बढ़ाए और उसका जस्टिफिकेशन न हो और यह एकट बीच में न हो तो जो कंज्यूमर हैं, वे शोर मचायें, एजीटेड करें और उसको रिजिस्ट करने की कोशिश करें। लेकिन चूँकि सरकार बीच में होती है, इस वास्ते वे कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार उन बड़े हुए दामों पर पंद्रह दिन के बाद मुहर लगा देती है और कह देती है हाँ बेटा बढ़ा अच्छा किया कि तुमने बढ़ा दिए और उसको वह आशीर्वाद दे देती है। उसको आशीर्वाद देकर लोगों को चुप करा देती है ताकि जो कंज्यूमर है वह रिजिस्ट न कर सके। अड़ोतरी का कारण यह होता है कि

आपकी उनके साथ मिली भगत रहती है, वैस्टिड इंटरैस्ट के साथ मिली भगत रहती है। आपने डालडा, वनस्पति घी, सिमेंट, पेपर आदि जो चीजें हैं और जिनकी भाज कमी है, उसके बारे में क्या किया है? भाज सुबह ही कागज की बात चली थी। दो बार कागज की कीमतें बढ़ाने के बावजूद भी भाज साढ़े उन्नीस सौ रुपये टन के बजाय चौबीस सौ रुपये टन के हिसाब से कागज बिक रहा है। मंत्री महोदय दस बार आश्वासन दे चुके हैं कि वह कंट्रोल कर देंगे, इसकी कीमत को इस तरह से बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। दो महीने से इस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। कहते हैं कि कमेटी बना दी गई है और उसकी मीटिंग 19 अप्रैल को होगी और उसके बाद फंसला कोई लिया जाएगा। इस बीच कापियां, बस्ते, किताबें आदि जो छपने हैं, छप जायेंगे। आजकल इनका सीजन चल रहा है। इनका काम पूरा हो जाएगा इनके द्वारा एक महीना देरी करने से। बाद में ये चंदा ले लेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें हो रही हैं। यह एकट लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

आपने कहा है कि आठ हजार केसिस पकड़े गए और चार हजार को सजायें मिली हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी डकैतियां पड़ी हैं या कितने मर्डर हुए हैं देश में। उनकी फिगर्स इससे कहीं ज्यादा होगी। इस वास्ते यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। यह जो एकट है यह पूर्णतया खत्म हो जाना चाहिए, इस हक में मैं नहीं हूँ। रेग्युलेट आप करिए, कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसका बकिंग ठीक नहीं है, ठीक तरह से रेग्युलेट आप नहीं करते हैं, लोगों के हित में नहीं काम होता है। मेरा एतराज यह है कि आप किसी का गला घोटें और उसको अपील का मौका भी न दें, राइट भी न दें, यह गलत बात है।

[श्री कंबर लाल गुप्त]

भाज हालत क्या है। पेपर की बात मैंने कही। वनस्पति की बात आपकी मैंने बताई। भाज दिल्ली में वनस्पति की कमी है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वह आपको पन्द्रह-बीस रुपये अधिक दामों पर ब्लैक में मिल सकता है। एक टोन के पीछे इतनी ब्लैक चल रही है। ब्लैक में आप चाहें तो आपको एक हजार टोन मिल सकते हैं। लेकिन जैसे आप बाजार में चले जायें तो आपको आधा किलो देंगे। यह सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कानून होने के बाद भी आप कुछ नहीं करते हैं।

उद्देश्य यही होना चाहिए कि ठीक दामों पर लोगों को चीजें मिलें। पंसारी या पनवाड़ी दो पैसे अधिक ले लेता है तो आप उसको पकड़ कर भन्दर कर देते हैं। लेकिन पब्लिक अंडर-टेकिंग में क्या हो रहा है। एस० टी० सी० दो सौ, तीन सौ और पांच सौ परसेंट तक प्राफिट ले रहा है और मसालों जैसी चीजों पर ले रहा है। वहां आप कुछ नहीं करते हैं। हर घर में इनका इस्तेमाल होता है। रेड्डी साहब के घर पर हमने खाना खाया था, वहां भी इसका इस्तेमाल हुआ था। कितनी ही चीजें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। अब क्या इन पर भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए? आपके पास लाइसेंस है। दस बारह परसेंट जो रीज-नेबल प्राफिट है वह आप लें। लेकिन आप तो सौ दो सौ परसेंट लेते हैं। कितनी ही आइटम्स हैं जिन पर छोटे लोगों से सरकार मुनाफा कमा रही है। गेहूँ पंजाब में 60-70 रुपये पर खरीदा गया। इसको सौ रुपये के भाव पर बेचा जा रहा है। क्या इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा? क्या प्राइसिज पर कोई कंट्रोल नहीं होगा? क्या सरकार की इन्फ्लिमेंसी इसी तरह जारी रहेगी? अगर प्राइसिफिशन और एक्सप्लायटेशन किसी प्राइवेट प्राइमरी के लिए बुरे हैं, तो वे सरकार के लिए भी बुरे हैं। सरकारी इदारों को भी इसके अन्तर्गत लाया

जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने इदारों की मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

जब किसी चीज की स्कोसिटी या शार्टेज होती है, तो उसके दो महीने के बाद यह सरकार जागती है। लेकिन अगर किसी चीज की स्कोसिटी नहीं है, तो फिर वह चाहे कितनी ही ऊंचे दाम पर बिके, सरकार उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं करती है। एक बार मैंने यह कैलकुलेट किया था कि जो फारेन कम्पनीज ड्राइंग बनाती हैं, वे 22 परसेंट नेट प्राफिट बाहर भेजती हैं, जबकि यहां की कम्पनियां सिर्फ 2, 6 या 7 परसेंट प्राफिट लेती हैं। आखिर सरकार उन विदेशी कम्पनियों को कंट्रोल क्यों नहीं करती है, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिलें? सरकार के दवाइयां बनाने वाले कारखाने भी मुनाफाखोरी करते हैं। मिसाल के तौर पर टी० बी० का इन्जेक्शन सरकार को बारह या तेरह पैसे का पड़ता है, लेकिन सरकार उसको एक रुपये का बेचती है। इस हालत में लोगों को यह पूछने का हक हासिल है कि सरकार खुद इतनी मुनाफाखोरी क्यों करती है।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल कानून बनाने से यह समस्या हल नहीं होगी। अपनी इकानॉमिक पालिसी को ठीक किए बगैर और एक रियलेस्टिक एपरोच अपनाने के बगैर सिर्फ इधर-उधर छोटी-मोटी एडजस्टमेंट करने और अपने आपको सोशललिस्ट कहने से ही यह समस्या हल नहीं होने वाली है। जरूरत इस बात की है कि प्राइवेशन बढ़ाया जाये। अगर थोड़ा बहुत सोशललिज्म का मेक-अप करने से बेहतर काम करने लगे, तो यह नहीं समझना चाहिए कि सोशललिज्म आ गया। सरकार की नीतियां वास्तव में सोशललिस्टिक होनी चाहिए और उसको रियलेस्टिक एपरोच अपनानी चाहिए। प्राइस फ्रंट पर हिन्दुस्तान की पिक्कर दुनिया

में सबसे खराब है। जितनी तेजी से हमारे यहां प्राइसिज का उतार-चढ़ाव होता है, और कहीं नहीं होता है। इसको रोकने का एक ही रास्ता है कि सरकार अपनी इकानॉमिक पालिसीज को ठीक करे, अपनी पालिसीज को रीयलेस्टिक बनाए और इस तरह से एडहाक सालूशन्ज निकालना बन्द कर दे।

मैं इस बिल के मूलतः विरोध में नहीं हूँ। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार बिल्कुल पहले का सा बिल लेकर आई है। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए था और इसके सख्त प्रविजन्ज को ढीला करना चाहिए था। अगर सरकार लोगों को रेगुलेट करने के लिए एक सादा बिल लाती, तो हम उसका सर्थमन करते। हम यह नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केटिंग या होडिंग करें। ऐसा करने वालों को सजा देनी चाहिए, लेकिन अपील का राइट न देना और समरी ट्रायल का तरीका भ्रूख्यार करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं इस बिल को पूर्णतः निन्दा करता हूँ।

MR. SPEAKER: Resolution moved:

"This House disapproved of the Essential Commodities (Amendment) Continuance Ordinance, 1969 (Ordinance No. 10 of 1969) promulgated by the President on the 30th December, 1969."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): Mr. Speaker, Sir, on behalf of Shri Fakhruddin Ali Ahmed, I beg to move:

"That the Bill to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, for a further period, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The Bill seeks to extend the period of operation of the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964 for a further period of two years after 31-12-69.

The Essential Commodities (Amendment)

Act, 1964 had inserted Section 12A in the Essential Commodities Act, 1955. This Section provides that the Central Government may, in the interest of production, supply or distribution of any essential commodity and other relevant considerations, by notification in the official gazette, specify an order made under Section 3 of the Act to be special order and when such a notification is issued, the contravention of the said order can be tried summarily. The Act of 1964 also inserted Section 8A in the Criminal Law Amendment Act, 1952 which empowers the Special Judge trying an offence, specified under Sub-Section (1) of Section 6 of the Criminal Law Amendment Act, 1952, alleged to have been committed by a public servant in relation to the contravention of any special order as notified under Section 12A of the Essential Commodities Act, 1955, to try the offence summarily. The period of operation of the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964 was originally upto 31st December, 1966 but was extended upto 31-12-1969 by an amending legislation in 1967.

The supply position of a number of essential commodities continuing to be subject to spasmodic shortage makes it necessary for the Central and State Governments to retain the provision of the Act enabling courts to try summarily contraventions of the special orders. All the State Governments, except the Government of Jammu & Kashmir (whose reply has not yet been received), and the Administration of Union Territories are of the opinion that the provision for summary trials should be extended beyond its present expiry date namely 31-12-1969 for a further period of two years. The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation have declared several orders issued by the State Governments under the Essential Commodities Act as special orders for purposes of summary trials. We have in our Ministry also, in the past, declared certain orders issued by the Governments of Mysore, Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh as special orders for purposes of summary trials under these provisions.

The Ministry of Home Affairs have been furnishing statistics of the police cases tried summarily by special courts in the various States and Union Territories under the Essential Commodities Act. During the

[Shri Raghunatha Reddy]

year 1968, 17960 cases were put up for summary trial in various States and 6018 persons were convicted. During 1969, 8422 cases were put up for summary trial and 4330 persons were convicted. It will be seen from the statistics that the State Governments and Union Territories have been utilising the provisions for summary trial under the Essential Commodities Act and have found these provisions useful. In view of this, I am certain the hon. Members will agree with me that the provisions of the Essential Commodities Act for trying offences summarily should be extended for a further period beyond 31-12-1969 and which has been fixed in the Bill as 2 years.

As the House is aware, this Bill was introduced in the winter session of the Rajya Sabha on 22-12-1969 but could not be considered and passed by that House for want of time. Since the last winter session of the Parliament had come to a close on 24-12-1969, and there was need for the continuance of the provisions for summary trials beyond 31-12-1969, an ordinance was promulgated by the President on 30-12-1969. By this Ordinance the duration of the 1964 Amending Act was extended for a further period of 2 years from 31-12-1969. It is now proposed to replace this ordinance by this Bill. In view of the issue of the Ordinance, certain consequential amendments to the Bill have also become necessary. I now request that the Essential Commodities (Amendment) Continuance Bill, 1969 be considered by the House.

MR. SPEAKER: Now Mr. Kanwar Lal Gupta's Statutory Resolution disapproving the Ordinance and the Essential Commodities (Amendment) Continuance Bill are both before the House.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I would like to know when the Home Minister is going to make a statement on the attempted murder of Mr. Jyoti Basu.

MR. SPEAKER: He told me that he would make a statement in the evening. When will the Home Minister make the statement?

THE MINISTER OF PARLIAMEN-
TARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND
TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH):
I will check up and let you know, Sir.

श्री अश्वत्थ गनी डार (गुड़गांव) :
स्पीकर साहब, मेरा पाइंट ऑफ़ ऑर्डर है।
इस हाउस में आपके सामने भी और आपसे
पहले भी, जबकि आप इस हाउस में एक मेम्बर
थे, यह बात आई है कि सरकार को अपने
कानूनों में "सिवाए जम्मू-काश्मीर के" लिखना
बन्द कर देना चाहिए। आखिर यह सरकार
इस मुल्क के हिस्से-बखरे क्यों करती है और
जम्मू-काश्मीर के बारे में हमारे केस को
कमज़ोर क्यों बनाती है? जो बिल इस तरह
शैर-ज़िम्मेदारी के साथ इस हाउस में लाए
जाते हैं, आप उनकी इजाज़त न दें। सरकार
इस तरह हमारे साथ खिलौने की तरह न खेले।
मैं इसके बारे में आपकी रूनिंग चाहता हूँ।

[श्री عبدالغنى تار (کوٹا کانوں)-
سپیڈر صاحب، میرا پوائنٹ آف آرڈر
ہے۔ اس ہاؤس میں آپ کے سامنے بھی
اور آپ کے پہلے بھی، جبکہ آپ اس
ہاؤس میں ایک ممبر تھے، یہ بات
آئی ہے کہ سرکار کو اپنے قانونوں میں
"سوائے جموں کشمیر کے" لکھنا بند
کر دینا چاہیے۔ آخر یہ سرکار اس
سلک کے حصے بخرے کیوں کرتی ہے
اور جموں کشمیر کے بارے میں
ہمارے کیس کو کمزور کیوں
بناتی ہے؟ جو بل اس طرح غیر
ذمہ داری کے ساتھ، اس ہاؤس میں
لائے جاتے ہیں آپ انکی اجازت نہ
دیں۔ سرکار اس طرح ہمارے ساتھ،
کھلونے کی طرح نہ کھیلے۔ میں اس
بارے میں آپکی رولنگ چاہتا ہوں۔]

अश्वत्थ महोदय: मैं इसके बारे में
क्या रूनिंग दे सकता हूँ। माननीय सदस्य
ने जो कुछ कहना है, वह अपनी स्वीच में कह दें।
अगर स्पीकर हर एक बात पर रूनिंग देना
शुरू कर दे, तो बात कहां खत्म होगी?

श्री एम० एस० मूर्ति ।

SHRI M. S. MURTI (Anakapalli): This Bill seeks to extend the operation of the Essential Commodities Act 1964 for a further period of 2 years and then the Ordinance is brought before the House which was promulgated in December, 1969. I wonder whether there is any need for this action at all. When the Government is vigilant there is no need for this at all. They say that it is because there is delay in getting the approval of the State Governments that this measure is brought. The ordinance had to be brought because it could not be passed by both Houses of Parliament. I want to know whether the delay is on the part of the State Governments or on the part of the Central Government which took their own time. Did the Central Government prescribe any time-limit for the State Governments to send in their replies? That is the point I would like to be clarified by this Government.

A number of articles are coming under the Essential Commodities Act and all these are in short supply. It has been there for the last 20 or 25 years or even more but yet no attempt has been made by this Government to increase production and give the articles to the people at a fair price. This has not been done so far. There has been no attempt on their part to do this. We find that three successive Five-year Plans are over and we are just entering into the fourth Five-year Plan but even then this short supply is there in respect of various commodities. Our economy is in shortage; everywhere there is shortage. Take for example, foodstuffs, steel, iron, sugar, jute, cement, paper—everything. There is short supply there. It can be called an economy of shortages. We do not know how we are going to tackle this problem. There are shortages in respect of various commodities. In the original Act it has been said that they have powers to bring in anything, any arable land under cultivation....

16.43 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY—in the Chair]

... and in that particular and the kind of foodstuffs that are to be specified by the Government should be grown. But I ask this Government whether they have taken any action in this regard. Did they ask anybody to grow only a particular type of crops in any region? Why the Government should take upon itself all these powers when the

Government cannot implement them? Therefore, Sir, I cannot understand the way in which the Government is functioning. No attempt has been made to produce foodstuffs and other things which are in short supply.

There are various things where production gaps are there. Not only in foodgrains, but it is there in edible oils, industrial raw materials, everywhere we find this production gaps. Even in respect of industrial raw materials production gaps are there. No attempt has been made to increase the raw material supplies. The original Act refers to proper distribution, proper production and proper supply at a fair price. But nothing has been done so far in respect of these things. What has been done is, as Mr. Kanwar Lal Gupta says, only blackmarket is increasing. One Minister here, Mr. K. C. Pant, when somebody referred to the black-marketing the other day, said when there are no controls how can there be a black-market. That is how they take shelter under these things.

So far as there is control, how can there be black-marketing. This is something strange. I am reminded of a short story which I have heard when I was in the school. The Governor visited my school when my teacher was teaching me Mathematics. The teacher asked: The thief is running at the rate of four miles an hour. A policeman is chasing him at the rate of six miles. What will be the time taken by him to catch him?" The Governor exclaimed by saying 'is there thief in the British Government administration?' This is what the Governor himself said. When there is a shortage, there can be control. There is black marketing when there is control. The control is meant only for people indulging in corrupt practices as also showing favouritism etc. Some people are being given permits for supplying certain items of foodstuffs and other commodities. Only poor common people and innocent people are being convicted for this sort of thing and not those who are indulging in corrupt practices. The man who is indulging in these corrupt practices gets away with the booty. That is how this Act is functioning in our country and there is no need for giving this slogan for the common man because the common man is very much in the lime light nowadays. Shri Jawaharlal Nehru 'Die-

[Shri M. S. Murti]

covered of India' whereas Shrimati Indira Gandhi discovered 'commonmen of India'. For implementation of this Act, wide powers are being taken by Government to put an end to these activities practised by these people. I hope that Government will also take into account that there is a planned way of doing this sort of thing. Why should they come before the House for extension of this Act once in two years? During these five years so many commodities come under the purview of this Act. There is no plan at present. But, we find that Government comes up before the House seeking for extension of this Act for another two years. This is not the way of functioning of Government. There must be a certain planned way of doing these things and planned way of distribution of commodities and at a fair price. Otherwise we cannot check the price of the commodities. Prices are soaring up every year and for every ten percent increase in price, Government go on paying Dearness Allowance to its employees. If there is a planned way of production, then only the question of distribution of commodities at fair price will come in. What is the haphazard way of seeking for extension of this act for two years? I think Government should come before the House with a planned programme for extension of this Act for five, six or ten years and beyond that we do not want to extend this Act. This would create confidence in the minds of the people—commonmen. Just now the Minister gave some figures stating that about 17,800 people had been involved in the food offences. But of these only 6,000 people have been convicted under this Act. Only innocent people are punished. Summary trial court is being created. If anyone goes to the court the police people harass him. Some of these officers are indulging in corrupt practices but they are set free. Only the innocent people are convicted. Summary trials are going on. I do not know what is the position in other places to put an end to the blackmarketing that is going on. Something must be done to put an end to this blackmarketing and the people are assured of their supplies at a fair and reasonable price. I would like to know as to what has been done in this regard to see that the commodities are made available to the poor people at a fair price. I think there should be a proper plan before coming to the House for

asking for extension of this Act two years.

We do not want to extend this act any more. If this is the sort of functioning of this Government it would serve no useful purpose at all in giving this extension to this Act.

Thank you.

सभापति महोदय : मैं एक बात बता दूँ कि जो यह पूछा गया था कि होम मिनिस्टर कितने बजे श्री ज्योति बसु के सम्बन्ध में स्टेटमेंट करेंगे तो वह 6 बजे स्टेटमेंट करेंगे।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, गवर्नमेंट के नजरिए से इस बिल के एम्स एन्ड आब्जेक्ट्स अच्छे हैं। सन् 64 के पहले भी एक ऐसा बिल होता था। पहली लड़ाई के बाद एक ऐक्ट नम्बर 24 होता था उसको भी यही बोलते थे। उसमें एक दफा सात होती थी। चूंकि मैं खुद वकालत करता रहा हूँ इसलिए मुझे जाती इल्म है कि लाखों की तादाद में गरीब आदमी उसके शिकार होते थे। उसका बड़ा मिसयूज होता था। अगर इस बिल को लाने से भला हो जाए, फ़ेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक तरह से रेगुलेट हो जाए, प्रोड्यूसर्स का भला हो जाए, कंज्यूमर्स का भला हो और देश में मंहगाई समाप्त होकर और ठीक तरह से तिजारत चले, तक्सीम ठीक हो तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले सन् 40 के बाद जो कानून था और सन् 64 के बाद जो शकल प्रकृतियार की है, खास तौर पर ज्यादा बातें तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर है कि जो गरीब तबका है, देहात के किसान और मजदूर उनके हकों पर इस बिल की मार्फ़त डाका डाला गया है। दुनिया भर के बैकसूर लोग इसकी मार्फ़त पकड़े गए जो कि अपनी जिन्स पैदा करते हैं। जमुना के नजदीक, दिल्ली के नजदीक कोई गांव है, मंडी से कोई अपने घर के लिए भनाज लाए तो उस बेचारे को हरिजन बैकवर्ड समझ कर यह कह दिया गया कि यह तो पू० पी० में भनाज

लिए जा रहा है और उसको पकड़ लिया। मुझे खुद इस बात का इल्म है कि पांच-पांच, दस-दस सेर अनाज के बदले में एक महीने की कैंद हो गई और साथ में उसका अनाज भी जब्त हो गया। एक बेचारा गरीब भ्रामदी जो दस रुपये भी नहीं कमा सकता, वह भूखों मर रहा था, उसने किसी से दस रुपये कर्ज लिए और आप जानते हैं कि देहातों में तो फेयर प्राइस शाप्स कहाँ होती हैं, वह शहर से उस पैसे का अनाज लेकर चला तो रास्ते में उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस वाले समझते हैं इस तरह से छोटी मुर्गी को पकड़ते रहते तो अपनी डायरी पूरी हो जाएगी। तीस चालीस केसेज इस तरह से पकड़ लिए तो सिपाही से हवलदार हो जाऊंगा और हवलदार से बानेदार बन जाऊंगा। चूँकि मैं वकील रहा हूँ इसलिए मैंने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ लिया, उनके यहाँ पर तो हथकड़ी डाल नहीं सकते इसलिए बढ़ाकर यहाँ हथकड़ी डाल दी। मैंने बगैर फीस के उनकी वकालत की है।

तो मेरा जो प्वाइन्ट है वह यही है कि इसकी मार गरीब पर ज्यादा रही। जो हरिजन, किसान और बैकवर्ड हैं या जो मणिरकी और मगरबी पाकिस्तान से उजड़े हुए भाई हैं उन पर इसकी मार पड़ी है। रेल में जा रहे हैं, दो लोग पास बैठे हैं, जिसकी चीज है वह तो चला गया लेकिन पुलिस वालों ने दूसरे को पकड़ लिया। जैसा कि गुप्ताजी ने बताया, कोई बलील नहीं, कोई वकील नहीं बिल्कुल अन्डर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी और टका सेर खाजा। चूँकि मुझे पता है इसलिए मैं बतला रहा हूँ। मेरा विल तड़पता है जब मैं इस तरह की बात कहता हूँ। बेल्फेयर स्टेट, सोशलिज्म की बात होती है लेकिन जिस गरीब पर मार लगती है वही बेचारा जानता है। बेचारा किसान अपने खेत से जिन्स ला रहा है, उसका गांव दिल्ली की सरहद के नजदीक हृद्यग्रणे में है, हरयाणे के एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा है, अब बाउन्दी लाइन इतनी

सीधी तो है नहीं कि बीच में किसी और स्टेट का हिस्सा न पड़े तो बीच में ही उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि वह तो ब्लैकमार्केटियर है। अब उसकी गाड़ी भी जब्त, अनाज भी जब्त और बैल भी जब्त और ऊपर से उसकी कैंद। इन बातों का मुझे जाती इल्म है। उसकी सजा तो होती है एक महीने की लेकिन इस तरह से उसका अनाज हजारों रुपये का फालतू जुमनि में चला गया। मैंने खुद वकील की हैसियत से हजारों आदमियों की जमानतें इस ऐक्ट की तहत करवाई हैं। अदालतें भी बड़ा ताज्जुब करती थीं कि किस तरह का यह ऐक्ट है। बात तो होती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की, रेगुलेशन की और यह कि लोगों में ठीक तरह से अनाज तक्सीम हो लेकिन सिबाय लोगों को हेरस करने के और कोई भी बात मुझे इसमें नजर नहीं आई।

दूसरी बात यह है कि जो ब्लैकमार्केटियर्स हैं, स्टोर करने वाले हैं वह गरीब किसान का अनाज खरीद लेते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए, उसको अपने गोदामों में भर लेते हैं और फिर बाजार में किल्लत पैदा कर देते हैं। किसान से तो उन्होंने 70 या 75 स० क्वींटल में खरीदा लेकिन दो महीने के बाद उसी को वे 170 रुपये में बेचते हैं। चंडीगढ़ में उसका भाव 70 रुपये है तो बंगलौर में 140 का भाव है और कलकत्ते में 150 है। मैं पूछता हूँ कि ये मिडिलमैन कहाँ से पैदा हो गए। हमारे भाई गुप्ता की जो बिरादरी है उससे भी बढ़ा बनिया वह फूड कार्पोरेशन है। हमारे इन भाइयों को तो कुछ शर्म भी आती है लेकिन यह फूड कार्पोरेशन तो किसी की शर्म नहीं करता। आफिसर और बाबू सब बीच में खा जाते हैं। यहाँ दाढ़ी से मूछ बढ़ गई। उवाहम उवाह बीच में एक नया मिडिलमैन आ गया। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात इस ऐक्ट की तहत की जाती है कि सही तरीके से खीजों को तक्सीम करते हैं। जो लखपती वे वह छाज करोड़पती बन गए हैं। ब्लैकमार्केटियर्स के तो कहते ही क्या हैं। जो

[श्री रणधीर सिंह]

मिलावट करने वाले हैं वह मिलावट करके एक सेर की चीज को दो सेर बना देते हैं। सारे करेक्टर को बिगाड़ कर रख दिया है आपके इस ऐक्ट ने। सारी चीजें इस ऐक्ट के तहत हो रही हैं। लोग वजीरों के यहां चक्कर लगाते रहते हैं। मुझ से भी लोग कहते हैं कि कोका कोला की एजेन्सी दिलवा दीजिए, कोई कहता है ट्रेक्टर की एजेन्सी दिलवा दीजिए। हमको श्रीर गुप्ता जी को एजेन्सी वालों ने खा लिया। इसी ऐक्ट की तहत सब कुछ होता है। यह कोटा परमिट सिस्टम सब इसी ऐक्ट की देन है। ये हमारे भाई कोई अच्छी चीज होती है तो अपना नाम लेते हैं और जो बुरी चीज होती है वह हमारे ऊपर डाल देते हैं। . . . (व्यवधान) . . . यह सही बात है कि इस ऐक्ट की नीयत अच्छी है लेकिन जो इम्प्ली-मेंटेशन होता है उसकी वजह से दुनिया भर के खराब नतायज निकलते हैं।

किसान बेचारा अपनी जिन्स पैदा करता है लेकिन कोई इस बात को नहीं देखता कि गेहूं पैदा करने के लिए, गन्ना पैदा करने के लिए या चना पैदा करने के लिए उसका कितना खर्चा हुआ। मैं अभी अपने हल्के से आया हूँ जहां पर कि भ्रोलो पड़े हैं। मैं वहां से चने लाया था यह दिखाने के लिए कि किस कदर नुकसान हुआ है। यहां पर वह ला नहीं सका। किसान बेचारा आसमान की तरफ देखता है कि पता नहीं एक मिनट में क्या हो जाए। 50 साल में ऐसी बेहतरीन फसल नहीं उगी थी लेकिन सारी सत्यानाश हो गई। आज कितने ही बेचारे किसान रो रहे हैं। और दूसरी तरफ यह बंदिश है कि गल्ला दिल्ली से यू० पी० नहीं जा सकता। बिड़ला, टाटा और सेठ लोग तो लंदन चले जायं लेकिन किसान का बेटा हरयाण से दिल्ली नहीं जा सकता, दिल्ली से यू० पी० नहीं जा सकता, यू० पी० से मध्य प्रदेश नहीं जा सकता। इस तरह का आपका यह ऐक्ट है। इस तरह का सोशलिज्म और वेलफेयर स्टेट है। इस ऐक्ट की बदौलत

ही सारी चीजें होती हैं। एक-एक आदमी में इतना फर्क किया जाता है। कुछ आदमियों को ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए लाइसेंस मिल जाते हैं कि इतना चावल तुम केरल ले जा सकते हो, इतना गेहूं तुम बंगाल ले जा सकते हो। यह जो एफ० सी० आई० से परमिट कोटे दिए जाते हैं यह क्या अच्छी बात है? अगर सस्ते भाव में किसान, गरीब मजदूर के पेट में रोटी जाय तो ठीक है और यह बीच में जो एफ० सी० आई० है जो कनज्यूमर्स को भी नहीं बछाते हैं, किसान और मजदूर को भी मारते हैं, यह ठीक नहीं है। दुनिया भर का डिस्कमिनेशन होता है जो सरासर गलत है। किसान कोई चीज पैदा करे तो उसको रेग्यूलरेटिव प्राइस नहीं मिलती है। बत्तल फोड़ दो उसका और उसी चीज को दुगुने, तिगुने दामों पर बेचो। अगर किसान सीमेंट चाहते हैं तो कहा जाता है कि नहीं साहब कच्चे झोंपड़े में रहो और सीमेंट बड़े आदमियों को जो कि बम्बई और कलकत्ता में स्वतंत्र पार्टी के लोग रहते हैं उनको दिया जाता है। गरीब किसान के लिए देहातों में सीमेंट नहीं दिया जा सकता जो कि 70, 80 फ्रीसदी देहात में रहता है। यह क्या डिस्ट्रिब्यूशन है आपका। यह ऐसेंशियल सप्लाइज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या देहात के लिए नहीं हैं, हरिजन, गरीब, बैकवर्ड और गरीब किसान के लिए नहीं है। 80 फ्रीसदी लोग देहातों में रहते हैं कहां का यह आपका ऐक्ट है कि उनको तो 10 परसेंट सीमेंट भी नहीं देते, और शहरों में जो 10 फ्रीसदी लोग बसते हैं उनको 95 फ्रीसदी आप सीमेंट देते हैं। हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। यह हम नहीं मानेंगे।

17.00 hrs.

चीनी खाने वाले चमचम, पेड़े खाते हैं, मालूम होता है कि उन्हीं के दिल हैं और देहात में कोई आदमी नहीं रहते। वही पैदा करते हैं लेकिन उन्हीं को चीज उनकी जरूरत की मंहगे दामों पर मिलती है। लकड़ी 9 रु० मन है, लेकिन किसान का गन्ना 3 रु० मन लिया

जाता है फिर उसी गन्ने से जब चीनी बनती है तो उसको गरीब किसान, मजदूर और देहात का हरिजन नहीं खा सकता। कलकत्ता और बम्बई वाले साहब खायेंगे। यह गंवार, जंगली भ्रामदी देहात के क्या चीनी को जानें। मालूम होता है कि जैसे उनके यहां त्यूहार, शादी विवाह होते ही नहीं, या बच्चे नहीं होते। औरत को बच्चे के जन्म के वक्त चीनी नहीं मिलती, त्यूहार और बारात पर चीनी नहीं मिलती। तो यह जो बिल आप हमारे हाथों से पास कराना चाहते हैं यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको अगर आप पास कराना ही चाहते हैं तो पहले आप इसको ठीक करें।

कपड़ा बड़े लोग पहनते हैं, सैकड़ों ६० गंज का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन गरीब भ्रामदी नहीं पहन सकता। परसों के पैट्रियट अखबार में फोटो निकला था कि एक गुदड़े में पांच सौ थैगली लगी हुई हैं। देहात में बढ़िया कपड़ा नहीं मिलेगा। बढ़िया ओखने, पहनने को शहर में चाहिए, देहात में कपड़ा नहीं मिलेगा। लोहा उनको नहीं मिलेगा जो कि किसान की खास जरूरत की चीज है। लोहा कोल्हू में, रहत में, हल में, खुर्ी की फली में, सब में लोहा ही लोहा चाहिए तो उसको आप कई गुना महंगा देंगे जिसका फायदा टाटा, बिड़ला और डालमिया की एजेन्सियां खा जायेंगी। कोयला गरीबों को नहीं मिल सकता, सीमेंट नहीं मिलता, शूगर नहीं मिलती, कपड़ा, लोहा नहीं मिलता और मिट्टी के तेल पर आपने पैसे बढ़ा दिए, चाय कौन पिएगा, तम्बाकू पर आपने उसकी खाल उतार ली। अगर एक बीघा भी तम्बाकू बोए तो गिरदावर 10 बीघा दिखाएगा और उसका टैक्स इतना लाब देगा कि उस किसान के पड़ोते भी तम्बाकू की कاشت नहीं कर सकेंगे। किसी साथी ने ठीक कहा कि हाथी के दांत खाने के और और दिखाने के और हैं। बिल बढ़िया है लेकिन रूमाल में सरकार डंडा रखे हैं उसकी खाल उतारने के लिए।

एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप यह बिल हमसे पास कराना ही चाहते हैं तो सरकार डिस्ट्रिब्यूशन को ठीक करें। कोई रूल बना दीजिए जो इंसान पर बना हो कि 70 फीसदी सीमेंट, चीनी, कपड़ा और किसान की रोजाना काम में जाने वाली चीजें उसको उचित दाम पर देहात में दी जायेंगी। लोहा, कीरोसिन प्रायल इस भाव पर मिलेगा, कीमतों में तवाजुन पैदा कर दिया जायगा। किसान की चीज अगर आप सस्ती खरीदना चाहते हैं तो जो देहात में रहने वालें हैं उनको भी आप सस्ती चीज दीजिए। यह नहीं कि उनकी खाल उतारतें रहें और कोई चीज वेंहें खरीद नहीं सकें इतनी महंगी उनकी कीमत कर दी जाय।

दूसरी चीज यह कहना चाहता हूँ कि किसी तरह से आप इस कोटे, परमिट सिस्टम को खत्म कीजिए। यह बदनामी हमारे सिर पर प्राती है कि कांग्रेसियों ने खा लिया, जब कि कोटा, परमिट हम नहीं खाते। लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमारा नाम लगा देते हैं। तो इस कोटा, परमिट सिस्टम को खत्म कर दो। और अगर रखना ही है तो गरीब हरिजन को दो। जो सबसे ज्यादा गरीब दबा हुआ तबका है उसको दो। टाटा, बिड़ला, डालमिया को देने की जरूरत नहीं है उसका पेट तो पहले से ही भोटा है। तो अखल तों कोटा, परमिट खत्म करो। और अगर खत्म न करों तो गरीब को दो कोआपरेटिव बेसिस पर कंज्यूमर स्टोर बना कर दो। और पेरिटी प्राइस प्रॉइस करी। मिनिस्टर साहब सीशलिउम मुझ से ज्यादा जानते हैं इसलिए मुझे ज्यादा उनकी समझाने की जरूरत नहीं है। जो आपने कई चीजों में जोनल सिस्टम कर दिया है इसको किसी तरह से मिटाइए। ब्लैक-मार्केटिंग, स्टोरेज और ऊंची कीमतों को खत्म कीजिए तथा मेहरबानी करके जिन चीजों की किसान को रोजाना की जिनगी में खेती के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर, इन्पुट्स और दूसरे ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, उसको

[श्री रणधीर सिंह]

अगर इंसेंटिव प्राइस पर नहीं देना चाहते तो ठीक प्राइस पर ही उसको दे दें। अगर आप यह कर देंगे तो मैं पूरे जोर से इस बिल का समर्थन करूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप किसान और हरिजन की गर्दन पर चाकू लगा रहे हैं।

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali): Sir, it is indeed a very happy day today that the ultra-progressive Choudhuri Randhir Singh has become a practical progressive man. I forgive him for his distrust and rejection of Swatantra members, but I appreciate that he has seen the light of the day and by rejecting the permit-quota-licence raj and by denouncing the monolith of the Food Corporation of India, he has today decided to accept the Swatantra philosophy.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): That is why they are extending support to you in Gujarat.

SHRI S. K. TAPURIAH: And, are supporting you in Orissa ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: There is no support in Orissa; you are mistaken. (*Interruptions*).

SHRI S. K. TAPURIAH: But I would like to explode one myth which Chaudhary Randhir Singh tried to propound when he tried to mention the type of cloth that we use. When we use this terylene or man-made yarn in our bush-shirts we are paying quite a good sum to the exchequer. If I pay Rs. 100 for my bushshirt I am paying Rs. 50 to the State because 100 per cent duty is imposed on it. But when these people buy Khaddar for their kurta or jacket they rob the poor people of some money because the State is subsidising khadi. So, whereas they take away money from the State by way of subsidy, we are contributing to the State exchequer.

AN HON. MEMBER: What about the aspect of employment in khadi?

SHRI S. K. TAPURIAH: Don't you employ men in your mills? So, please do not bring in such arguments.

The French have a saying "drive nature away and it returns with a gallop". Destroy the free market and you create a blackmarket. You overwhelm the people with a plethora of laws and regulations and you create a general disrespect for law. This is what this Bill is going to do.

The main underlying idea of the Act, as I understand it and as you probably understand it, is to check the rise in prices and to regulate the distribution of scarce essential commodities. But has the Act succeeded in it? The answer in one word is "No".

In the last seven years the index number of commodity prices has gone up by 74 per cent. If we take the prices of such essential commodities as foodgrains, sugar, cooking oil, clothing etc. it will be seen that the prices have gone up by 100 per cent. In the last year alone the general price index has gone up by 18 per cent. Coming closer to this month, ever since the budget was presented, though the Prime Minister claimed in this House that the impact of her levies would not be more than 0.1 per cent, there are many newspaper reports which proclaim that the prices of commodities on which additional levies were imposed under the Union budget have shown increases. There are reports from Bhopal, Bhubaneswar and other areas that the prices have gone up. What have the government done through the Act to stop the price rise? What is more, addressing the members of her own party, the Prime Minister said, that, within a few hours of the presentation of the budget, her own son came with a petrol receipt showing the increased price charged from him. Have you taken any action against the petrol dealer under this Act? What more proof do you require than the proof brought to the Prime Minister by her own son with a supporting voucher? But you did not take any action because your Bill, as it is today, is only a whip in your hand and in the hands of your administrators and officials to blackmail the people, to terrorize and coerce and harass those traders who fail to toe your line and not the other blackmarketeers or those who play against the social regulations.

The Act has also inherent contradictions. Why do prices rise? The prices rise when

demand outstrips supply. When that happens the only sane action is not by artificially pegging down prices or by controlling distribution indefinitely but by letting loose those forces that stimulate production. For that purpose also this Act gives power to the Government for "regulating by licence, permit or otherwise the production or manufacture of any essential commodity." Which economic law lays down that such malaise can be cured only by controlling prices and distribution and simultaneously by restricting production?

According to government vocabulary, as I see it, and as I have been seeing it for the last 22 years, the powers given to the government to regulate these by licence, permit or quotas only means delay, rejection and harassment, or otherwise means only delays, hampering or stopping production. What have you done to increase production during the last few years? What have you done to increase production of scarce commodities? Only this morning we were discussing about paper. The Minister admitted that paper famine is looming large, is staring us in the face. Yet what did they do to increase production? For the last one and a half years paper industry is a de-licensed industry. Only fifteen days ago it was put back in the licensed list. Is that how you want to remove or mitigate the shortage or scarcity?

Many examples can be given how controls and decontrols work. But I will confine myself to only two examples which give different pictures. One is the case of scooters, where there is a shortage, where the price has been fixed by the Government, where the distribution has been governed by the Government regulations, and on all the applications for increasing production the Government is sitting tight. It does not take any decision. But the shortage continues; the mal-practices continue and the production does not rise.

On the other side, you have the case of sugar where only partial decontrol took place and in the last 3 years, the production has gone up by $2\frac{1}{2}$ times. Why can't you, as a trial, when you have succeeded in the case of sugar, extend this principle or this experiment to other scarcity items also? You will see the results for yourself.

Another reason why the Act has failed is

that you have not judiciously implemented it. At times, you peg down the price of the end-product without placing similar restraints on the prices of raw material or intermediary components. I can give you another example. Time and again, you have refused the plea of car manufacturers to increase their price. You may have your justifications. Have you ever invoked this Act to check the prices of component parts and accessories of automobiles when you have got the powers to do so under this Act? Without imposing any restrictions on the price of steel, alloy steel, copper wires, copper sheets and multifarious other parts that go into the making of a car, what moral justification have you to control the price of the end-product? You go down the line. It will apply to bicycles; it will apply to cloth; it will apply to everything. How do you justify controlling the price of the end-product with prices spiralling on all other parts of it?

Sir, if this Act has failed to check rise in prices, if it has failed to stimulate production to meet the demand, what has it succeeded in? What would the continuance of this Act achieve? I do not see anything except probably there will be more bribery for the officials and more powers for the Minister and the people will be coming to them either for some quota to be released or some favour to be granted to them.

The proposed continuance of this Act for a further period is designed to continue the unconscionable procedure of summary trial in prosecutions and amounts to continuance of denial of justice in such cases. Broadly speaking, in such cases, the summary trial has been doing infinitely more harm than good and, as our experience goes, as every single hon. Member who has preceded me has said; that it has bred widespread corruption and blackmail. Summary trials, as our experience has been, are being held in a most scrappy and perfunctory manner. Such trials are designed more to strike terror and to demoralise than to impart justice. As such, the provision for summary trial must be deemed to be the very negation of justice. Even a cursory analysis will reveal that 99 per cent of the cases under the Essential Commodities Act involve contraventions of an absolutely technical nature, the victims being in almost all the cases small traders and agriculturists and people in remote villages,

[Shri S. K. Tapuriah]

Is it fair to the small trader in a remote countryside if you haul him up for a summary trial for such small matters as a wrong form of accounts or a wrong description of cash memo? Have you ensured that these ever-changing forms, etc., reach every village immediately a notification is issued?

In view of the fact that the Act has failed to stabilise the prices or to make methods where equitable distribution of essential commodities takes place among the people or to increase the production or to achieve even one single purpose for which it was enacted, my party and I oppose this Bill which seeks continuance for a further period. I want to make a request that if you want to continue for sometime, you try to give these things, where you want to regulate distribution, where you want to regulate prices and production, to an autonomous body, not to a governmental body. You give it a fair trial. You have seen for 20 years and heard of widespread corruption it has created. You give it a fair trial. I am sure, this is not a request asking for too much.

Sir, I shall conclude by outlining the difference between our outlook and the Government's outlook on life. Sir, the difference is like that between the ladder and the queue. We are for the ladder. Let all try their best to climb. They are for the queue. Let each wait in his place till his turn comes. But we ask, 'What happens if anyone slips out of his place in the queue?' 'Ah', say the Government, 'Our officials—and we have plenty of them—come and put him back in it—or put him lower to teach the others.' And when they come back to us and ask 'What happens if anyone slips off the ladder?', our reply is, 'We shall have a strong net and the finest social ambulance in the world.'

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): I rise to support the Bill.

SHRI S. K. TAPURIAH: I hope the textile industry is following the Bill.

SHRI PILOO MODY (Godhora): Betwixt these two I am not concerned.

SHRI S. R. DAMANI: In a country like ours when production increases, consump-

tion increases and agricultural production depends on the vagaries of the monsoon and in such cases, the Government must have some power to regulate the supply and prices of the essential commodities for the public. For this reason the Government is empowered to take action to see that public do not suffer on account of abnormal rise in prices and it is very essential that Government must have some powers to control the distribution and prices of the essential commodities required by the masses.

Shri Kanwar Lal Gupta said about sugar. I would like to draw his attention to the present position. The advantage of decontrol has gone to the masses. Last year the prices of sugar were ruling high—Rs. 500 and even Rs. 700 per quintal. But on account of decontrol the production has increased and now the prices have come down to Rs. 200 per quintal including excise duty. So if the Government did not take that step at that time, today the position would have been different. So the action taken by the Government at that time was wise. Without any kind of consideration, they want to run down the Bill. It is in the interests of public, it is in the interests of the consumer, it is in the interests of the producer and the result is that the price of sugar is now Rs. 200 per quintal.

Similarly, he has mentioned about vegetable oils. Last year when the crop was good, the prices were going down. The Government fixed the prices every fortnight. Every fortnight they reduced the prices. Now because of shortage of crop, prices of—oilseeds are going up. In that case, in fairness to the industry, they will have to increase the price. But I can say that in that year the crop was better and prices were going down. To-day our prices of wheat and other cereals are going down. As prices go down, we will not require such powers. Government want only extension of this Act for 2 years through this Bill. Having stated this, I want to make some suggestions about production. The present policy of controlling the industrial production requires changes,—drastic changes, I must say. At present every applicant has to apply to the Government for setting up an industry. For getting a licence it takes 2 years and after 2 years he starts the factory and it takes another 3 years at

least to bring in production. These 5 years go away. Meanwhile the demand goes on increasing and it is bound to increase further and so development of industries have to be faster. In such circumstances this waste of time for the application being scrutinised and then issue of licence etc., requires changes. Government should follow a policy by which they may call the parties, the entrepreneurs who are interested in certain schemes of production and invite them, discuss with them and take immediate decisions on the spot. As such the industry can expand faster. The production can be increased. Surplus can be created which is very essential. This surplus will remove the necessity of such Bills. I want to stress that our effort should be to increase more production and remove all the hurdles in the way of increasing production.

Sir, I remember how in Punjab this problem was tackled. We should take the examples of such States where such steps have been taken. When Mr. Pratap Singh Kairon was the Chief Minister of Punjab one of my friends wanted to put up a factory in Punjab. He was not known to the Chief Minister, Mr. Pratap Singh Kairon. He took an introduction letter. He went to him and said 'I have come for putting up a factory in your State. This is my introduction letter.' He said 'I am very happy you have come; I don't require any introduction letter because you have come to my State to put up industry. That is more than enough.' He saw the application. He called the party after one month. This party went after one month. At that time he called all the concerned Ministers, he discussed the matter with them, the project was finalised and factory work started and within 1½ years the factory went into production. That policy has developed the industries in Punjab to a very great extent. I think Government should follow such policies by which production can be increased and shortages can be removed. More production can solve our problems and it will create more employment opportunities and it will also bring in more revenue to the Government. This is a policy which I think is very essential and should be followed.

With these words, Sir, I support the Bill. Thank you.

*SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Mr. Chairman, Sir, before I speak on the Bill seeking to extend the life of the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964 for a further period of two years, I would like to say a few words on the Resolution moved by my hon. friend, Shri Kanwarlal Gupta, disapproving the issuance of Ordinance in this regard. The hon. Minister could not give a convincing reply to all the points raised by Shri Kanwarla Gupta and others. All he said was that there was no time to get this legislation passed by the Rajya Sabha and so he had to take recourse to the Ordinance. I deprecate strongly this kind of legislative practice.

According to our constitutional provisions Ordinances are to be issued only in exceptionally emergent and unavoidable situations. It is highly improper to use this as an instrument for bypassing the Parliament or for evading a debate in the Parliament or for carrying out the whims of the Government at their convenience. It is also wrong to promulgate Ordinances indiscriminately on all and sundry issues. I would point out that twisting the provisions of our Constitution to suit the convenience of Government is utterly untenable. This runs counter to the letter and spirit of the relevant constitutional provision. This is not the maiden attempt of the Government in issuing such an Ordinance. In the past they have issued so many Ordinances, in this manner. I want to say that this should be condemned outright.

In recent months we have seen that due to paucity of time the legislative proceedings of the Parliament are conducted peremptorily and sometimes rushed through most ruthlessly. If the Government want to find a remedy for this kind of unseemly haste in getting laws passed by the Parliament, firstly, they must part with a substantial portion of the vast powers which they have arrogated to themselves unduly. They should confine themselves to cardinal activities, which will enable them to utilise the available parliamentary time judiciously. They should share the sinews of governmental power with all the authorities concerned with administration in the country. Then, there will be greater opportunities for a purposeful debate in the Parliament. Otherwise, the duration of the

* The original speech was delivered in Tamil.

[Shri S. Kandappan]

sessions of Parliament should be so increased as to have worthwhile deliberations on important matters. If we rush through legislative and other issues in the Parliament without giving deep consideration to the issues involved, we will be losing our democratic moorings. The Parliament is hustled through a plethora of laws and frequently we are being reduced to the position of a rubber stamp to put the seal of approval on whatever the Government have already done outside the precincts of Parliament. This is surely a death-knell to our democratic system of functioning. If the Government persist in doing so, they will be acting in a most uncivilised way. It is not proper and it is also not good for the country. We will be cutting at the very roots of the foundations of democracy in our country.

Now, I would briefly refer to this Bill under discussion. There can be only one aim for controlling the free-market in our country. We should regulate the free-market operations with a view to preventing the creation of artificial scarcities and to curb the tendency of the traders to indulge in black-marketing, hoarding and profiteering, utilising the manifold opportunities which the free-market offers. While we are trying to hold in leash the free-market, we should ensure that these regulations should not by themselves lead to the creation of undesirable and anti-social activities which they seek to curb.

So far as this Bill is concerned, I would emphatically say that the people consider it only as a punitive measure and not as a regulatory one. From our past experience of Government's implementation of this act, we know that the objective of regulating production and distribution of essential commodities has not been fulfilled. I would like to enumerate one or two examples. Many hon. Members, who preceded me, referred to cement, sugar, yarn, cloth and so many other essential commodities. The hon. Minister will in all probability put forth the plea that there is no direct connection between the extension of the life of this Act and the issues raised by the hon. Members. I would say categorically that the Government have failed in proper enforcement of the provisions of this Act, because they have never made a realistic assessment of the prevailing situation in different regions and States at any

given moment in regard to anyone particular commodity and the problems connected with it. If you had realised the importance of this kind of an impartial assessment and functioned effectively, then the problems faced today by the States would not have been there. There would also have been impressive progress in the overall situation throughout the country.

Mr. Chairman, take, for example, sugar. My hon. friend, Shri Tapuria, who spoke earlier, said that the production of sugar has gone up. But all of us are aware that the price of sugar has not come down as a consequence. In this matter, the Tamil Nadu Government had discussions with the Central Government. They have repeatedly stressed this point that the price of sugar fixed for Tamil Nadu is higher than that fixed for other States, but the Central Government in all their obduracy have rejected this plea. On account of this the excise duty has gone up, leading to rise in price of open market sugar. The common people are not in a position to pay that much. At the same time, the stock of sugar in the factories is getting piled up and in fact the factories are facing a crises; some of them are not even able to operate. In the ultimate analysis, the agriculturists are affected adversely. The control which has set this dangerous trend cannot be called a beneficial one. If it is to be really a fruitful control, then it should take into account the prevailing situation in regard to each commodity at any given time and place. Within the framework of powers granted to the Central Government by this law, these regulations should be formulated after a thorough study of the problems of the regions on the spot; but I don't think this is being done systematically.

Some years ago, when the Government of Gujarat was confronted with the problem of upward trend in edible oil prices, in order to cope with the alarming situation there, the Central Government under this very Act permitted the State Government not to export the edible oil but to stock them in substantial quantities within the State with a view to arrest the rise in prices. Later on, when some other States were also faced with a similar problem and wanted to take some precautionary steps, the Central Government did not give the necessary permission. Why I am referring to this is that each State

is confronted with a particular problem of its own in regard to one commodity or the other within its area. Day before yesterday, the Minister of Tamil Nadu in charge of handlooms in a speech referred to the immediate necessity for stopping the import of mill cloth from Bombay and Gujarat in order to give protection to handloom products. The Central Government may consider that it is not such an innocuous issue. I have referred to this only to draw the attention of the Central Government to the gravity of the problem of handloom weavers in our State. The problem of each commodity should be looked into in the light of the situation obtaining at any given time and place.

I wish to say that if the Government want this Act to be constructive and wholesome, then they must implement it after proper consultations with the State Governments and after studying the circumstances prevailing in any region or State in regard to each commodity. This measure would have become a welcome measure and a laudable legislation if it had been drafted in consultation and with the approval of the State Governments and also if the powers of implementation had been entrusted to the State Governments. From their past experience, the common people feel that this is only a punitive measure to punish the wrong-doers and not a constructive piece of law which will benefit them. I request the hon. Minister to see to it that this Bill becomes an effective legislative instrument to offer succour to the suffering millions of the country.

श्री क० गो० सेन (पूणिया) : समापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री कंवरलाल गुप्त ने अपने डिसएफरूवल के प्रस्ताव पर बोलते हुए जो बातें कही हैं, वे बिल्कुल सही मालूम होती हैं। जैसा कि श्री रणवीरसिंह ने भी कहा है, आखिर एंजेल कामोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत कौन लोग पकड़े जाते हैं—तारीब किसान। आबिद हुसैन गांव बलिहारपुर का हमारे यहां का एक छोटा सा किसान है। वह अपने घर का गेहूं पिसवाने के लिए कन्हरिया मंडी गया। जब वह बेचारा उसको पिसवा कर घर वापिस आ रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। आप जानते हैं कि हम एक ऐसे

जिले से आते हैं, जिसके एक तरफ़ नेपाल है, दूसरी तरफ़ बंगाल है और फिर पाकिस्तान भी बाइंडर पर ही पड़ता है। अगर कोई भी आदमी किसी नजदीक की मंडी से सामान लेकर जाए, तो उसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। उस पर आरोप लगाया जा सकता है कि वह बंगाल से लाया है, या नेपाल से लाया है। आबिद हुसैन के भाई को यह खबर मिली कि जब वह आटा पिसवा कर आ रहा था, तो रास्ते में उसको और उसकी बैलगाड़ी वगैरह सबको पकड़ लिया गया। वह दौड़ा हुआ आया, लेकिन उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक तीसरा आदमी बेचारा आया पैरवी करने के लिए, तो उसको थप्पड़ वगैरह लगाए गए। पहले तो मुखिया ने उन दोनों आदमियों को रोक लिया और उसके बाद उनको थाने वालों के पास भेज दिया। थाने वालों ने सबको छोड़ दिया, लेकिन आबिद हुसैन का चालान कर दिया। हमारे यहां के एम० एल० ए०, मुहम्मद जाफ़र साहब, ने मुझे एक खत लिखा कि वह बेचारा अपने खेत का गेहूं पिसवा कर ला रहा था, लेकिन उसको पकड़ कर ज्यादाती की गई, इसको देखो। मैंने उसमें एन्वयरी की और हमारे अफसरान से कहा कि लोगों को इस तरह से क्यों परेशान करते हैं। पता लगा कि यह केस मुन्सिफ के पास चला गया है, जबकि मैं चाहता था कि गवर्नमेंट से कह कर उस केस को बिद्दा करवा दूं। उन्होंने कहा कि अब तो यह बिद्दा नहीं होगा, डिस्पोजल होकर ही खत्म होगा। अब आप कचहरी की तरफ़ आइए। तारीब पर तारीब लगती चली गई, कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वह हमारे सामने आया और रोने लगा कि हालत ऐसी हो गई है कि कोई उसको एक पैसा कर्जा भी देने वाला नहीं है और कचहरी में गवर्नमेंट की साइड में कोई रिप्रेजेंट करने वाला ही नहीं था। जब मैं और ज्यादा इस केस के अन्दर गया तो मालूम हुआ कि मुन्सिफ ने पहले ही उस मामले को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया था। आप जरा सोचिए—जो आदमी रोज 20-25 कोस से टाउन की

[श्री फ० गो० सेन]

केबंहरि में आता है, उसकी क्या मतीजा भुन-
तना पड़ता होगा। इसके अलावा एक कोर्ट से
दूसरी कोर्ट में, दूसरी से तीसरी में किस ट्रांसफर
होता रहे और हर बार जमानती करानी पड़े—
यह क्या चीज है। इस तरह से वह शख्स तबाह
हो गया। हमारे यहां तो पास में बंगाल बांडर
है, ऐसे केसेज रोज होते रहते हैं, 5-10 रु०
दे दो, तो चल जायगा, नहीं तो जाग्रो जेल में।

आप इस एक्ट के अण्डर स्टेट गवर्नमेंट
को पावर दे रहे हैं, लेकिन इसको देखने वाला
कौन है, उस पावर का इस्तेमाल ठीक से ही
रहा है या नहीं, इसको कौन देखेगा। आपने
इसमें चोरी की बात कही है। मैं कहता हूँ
कि वह आदमी जो रुपया दे सकेगा वह चोरी
से बच जाएगा और जो नहीं दे सकेगा, वह
पकड़ा जायगा। हमारे यहां रिफ्यूजी सेंटिल-
मेंट्स हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, यदि
वे 500 रु० लोन लेते हैं, इंस्पेक्टर को यदि वे
खिला नहीं सकते हैं तो उनको 500 रु० देना
ही होगा, वह राइट-आफ नहीं हो सकेगा।
लेकिन अगर कोई खिला सकता है, इंस्पेक्टर
को 25-50 रु० देगा तो उसका 5 हजार का
लोन भी राइट आफ हो जायगा। आपके
ये कानून गरीब आदमियों को पीस देने के लिए
हैं। अगर आपका यह कानून ठीक है तो मैं
आपसे कहूंगा कि आबिद हुसैन के केस की
सी० आई० डी० से एन्वयरी कराइए, मालूम
कराइए कि कनहड़िया मंडी की हटिया में
आटा पिसाने के लिए गया था या नहीं गया
था, फिर उसकी क्वां पकड़ा गया। अगर यह
बात सही है तो जो जो इसके लिए जिम्मेदार
हैं, जिन्होंने उसको झूठा फंसावा है, उनके ऊपर
केस चलना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट पर भी
डिले का केस चलना चाहिए, जस्टिस-डिलेड-
जस्टिस-डिनाइड। अगर स्टेट गवर्नमेंट
इसके लिए जिम्मेदार है तो स्टेट गवर्नमेंट
के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। लेकिन यदि
आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर इस बिल को
बिड़्डो कीजिए। हम यहां पर कानून किसके

लिए बनाते हैं, जनता के लिए कानून बनाते
हैं, किसके वोट से यहां चुनकर आए हैं—
जनता के वोट से चुनकर आए हैं, अगर जनता
के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको
डिबाल्व कर देना चाहिए।

ये सारी चीजें इस तरह की हैं जिनको
देखकर हमारा खून खील जाता है। अब भी
आबिद हुसैन मेरे सामने आता है, मेरा कलेजा
कांप जाता है—इन सारी चीजों को देखना
चाहिए।

कंवरलाल गुप्तजी ने ठीक ही कहा है—
जहां इसमें और दूसरे प्वाइन्ट्स हैं, वहां आपने
जूट, शुगरकेन को भी लिया है। शुगरकेन के
बारे में आपने दुनिया भर की बातें लिख दी
हैं, मैन्यूफैक्चरिंग कास्ट का चिह्न किया है,
जहां इण्डस्ट्रीज का सवाल है, वहां ठीक है
मैन्यूफैक्चरिंग कास्ट होना चाहिए, लेकिन
जूट में मैन्यूफैक्चरिंग कोस्ट नहीं है, रा-जूट
तैयार करने में भी कितनी-कितनी मुशीबत
उठानी पड़ती है, उसकी एन्ट्री कहा है।
हमारे यहां से नेपाल बांडर 50 गज
में No man's land पर है, इस पार से उस
पार माल चला जाता है, वहां ज्यादा पैसा
मिलता है और फिर वही जूट नेपाल-जूट
कहलाकर बाहर चला जाता है—कोई देखने
वाला नहीं है। इंडिया की पेंडी नेपाल में चली
जाती है, वहां से नेपाल-पेंडी होकर बाहर चली
जाती है—आप वहां पर क्या देखते हैं। जूट
की होडिंग सब करते हैं, जब जूट की होडिंग
होती है तो उसका दाम बढ़ जाता है, क्वां बढ़
जाता है—क्या इसको कोई देखने वाला है ?

हमारा यह कहना है कि जहां तक गरीब
किसानों का सवाल है उसके एक-एक केस को
देखना चाहिए और डिटेल में जाकर उन तमाम
केसेज को विद्दो कर लेना चाहिए।

श्री स० मो० बंनर्जी (कानपुर) :
सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने

के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो चोरबाजारी करते हैं, मुनाफ़ाखोरी करते हैं, ज़खीरेबाजी करते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। आबिद हुसैन के केस के बारे में सेन साहब ने कहा, लेकिन जो चोरबाजारी करते हैं, मुनाफ़ाखोरी करते हैं, ज़खीरेबाजी करते हैं, और उसके बाद भी वे समाज में रहते हैं, उनको यदि एन्टी सोशल एनीमेंट्स कहा जाय तो यही हमारे स्वतन्त्र पार्टी के या सिण्डिकेट के या जनसंघ के भाई उनके केस को यहां पर प्लीड करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बिल को थोड़ा गंभीरता से देखें, यदि यह एसेन्शियल कमांडिटीज एक्ट यहां पर न हो, तो जो थोड़ा बहुत सजा का डर है लोगों के दिलों में, वह भी नहीं रहेगा। मैं तो सरकार को चार्ज करना चाहता हूँ कि इनको जो करना चाहिए था, वह इन्होंने नहीं किया, जो डेटेरेन्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, वह नहीं दी है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ—आज अगर वाकई चौराहे पर चार ज़खीरेबाजों को खड़ा करके कहा जाय, जो लोग उधर से गुज़रें इनको चार-चार जूते मारें, तो आप देखिए कल से ज़खीरेबाजी और मुनाफ़ाखोरी बन्द हो जायगी या उनको चौराहे पर खड़ा करके, जो इन्सान उधर से गुज़रे उन पर धूकता जाय, तो यह ज़खीरेबाजी बन्द हो जायगी या अगर पुराना तरीका अपनाया जाय, ऐसे भ्रादरियों का मुंह काला करके शहर-बंदर कर दिया जाय तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब जवाहरलालजी नेहरू प्रधान मंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा था—अगर एक दफा भी हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसे भ्रादरियों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मारी जाय, जो मुनाफ़ाखोरी या चोरबाजारी करते हैं, मुसीबत यह है कि सत्ता में आने के बाद सब भूल गए।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बिल को दो साल के लिए नहीं, बल्कि

तीन साल के लिए बढ़ाया जाय। शिव चन्द्र झा जी ने जो संशोधन दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जैसा रणधीर सिंह जी ने कहा—मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि गरीब किसानों पर अत्याचार न हो। हम में से कोई भी यह नहीं चाहता कि जो किसान ऐसी चीज़ में मुबतला नहीं है या ऐसी किसी चीज़ में उसका हाथ नहीं है तो यह नहीं होना चाहिए कि उसके साथ बेइन्साफ़ी हो, उसको इसमें फंसा दिया जाय। लेकिन ऐसी चीज़ को ज़रूर रोका जाय—जैसे आप उत्तर प्रदेश के बांडर पर चले जाय, दिल्ली से अनाज उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता, लेकिन वहां होता क्या है, ट्रक के ट्रक चले जा रहे हैं, रिश्वत देने के बाद उनको कोई नहीं रोकता और वहां पर दर्ज किया जाता है कि मूंगफली गई है। हरियाणा के बांडर पर चले जाइए, बांडर रेस्ट्रिक्शन ज़रूर है, लेकिन रात के 11 बजे के बाद कोई बांडर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती, तमाम स्टेट्स का यूनीफिकेशन हो जाता है, सब एक-दूसरे के भाई-भाई हो जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि डेटेरेन्ट पनिशमेंट दी जाय, कम से कम उन लोगों को सजा का डर ज़रूर होना चाहिए।

शुगर के बारे में हमारे मित्र तापड़ियाजी ने कहा कि शुगर का पार्श्व डीकन्ट्रोल होने के बाद आप देखें शुगर का प्रोडक्शन बढ़ गया है। क्या वाकई में कम्प्लीट डीकन्ट्रोल के बाद सरकार का प्रोडक्शन नहीं घटा? उस वक्त पाटिल साहब मिनिस्टर थे, शुगर मैगनेट्स के अक्षर से डीकन्ट्रोल हुआ लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 29-30 लाख टन शुगर का प्रोडक्शन होने वाला था लेकिन वह 22 लाख टन रह गया। उसके बाद शुगर की शार्टेज हो गई। आर्टिफिशियल शार्टेज हो गई। तो इस तरह से कन्ट्रोल, डीकन्ट्रोल और पार्श्व डीकन्ट्रोल करो और फिर चीजों की आर्टिफिशियल शार्टेज पैदा हो जाए। तो इस तरह की पालिसी इस सरकार की शुगर अक्षर

[स० मो० बनर्जी]

सीमेन्ट बगैरह के बारे में रहती है। इसलिए मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह इन अंगुठों में न पड़ करके सही तरीके से कन्ट्रोल करे लेकिन इस सरकार की मुसीबत यह है कि यह कन्ट्रोल और डीकन्ट्रोल के बीच में डोल रही है। यह सरकार है या पेंडुलम ? आप तय कर लीजिए कि किधर जाना है। आज सरकार को एक चीज तय कर लेना चाहिए कि अगर कन्ट्रोल करना है तो सच्चे दिल से कन्ट्रोल करे, फिर सर्माएदारों के असर में आ करके डीकन्ट्रोल न करे। अगर वाकई में कन्ट्रोल नहीं करना है—मैं भी कन्ट्रोल का हामी नहीं हूँ—तो सही तरीके से उसको करे। आज हम देखते हैं कि दवाइयों के दाम किस तरह से बढ़े हैं, आम मसालों के दाम किस तरह से बढ़े हैं। आप बाजार में जाकर देखिए कि ग्राउ महीने पहले जो सामान सौ रुपये में मिलता था उसके दाम आज 130 रुपये हो गए हैं। बेचारा गरीब दिन-पर-दिन मकरूज होता जा रहा है। आज चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हमारे गरीब भाइयों ने होली का त्यौहार एक दफे मना लिया होगा लेकिन उसके बाद वे 6 महीने तक मोहरम मनायेंगे। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए दोबारा कहूंगा कि आप सजा देने की कोशिश करें और सर्माएदारों के असर में न आयें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ और यह प्रशासक करता हूँ कि राज्य सरकारें इस प्रर सही तरीके से अमल करेंगी और राजनीतिक असर में आ करके लोगों को छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगी। किसी ने चन्दा दे दिया तो उसको छोड़ दिया—यह बात नहीं होनी चाहिए। . . .

(व्यवधान) . . . राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को सही करने के लिए और चीजों के सही दाम कायम करने के लिए और साथ ही जखीरेबाजी को रोकने के लिए इस बिल की जरूरत है।

सभापति महोदय : आप लोगों से बेरा निवेदन है कि इस पर कई आवधी बोलना

चाहते हैं और जितना समय इसके लिए या वह करीब-करीब खत्म हो गया है। . . .

श्री कंचरलाल गुप्त : इसको सात बजे तक रखिए।

सभापति महोदय : मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा-थोड़ा इस पर बोलें ताकि सभी को समय मिल सके।

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Sir, although I agree with Mr. Gupta that this ordinance should not have been issued in the manner in which it has been done, still I disagree with some of the members who say that this Bill is unwarranted and unacceptable. Firstly, the Ministry should have known previously that sections 12A and 8A are about to expire and that the 1964 Act was about to expire on 31st December, 1969. They should have been pre-warned and the Bill for extension should have been brought in the House when it was in session. That is a very serious lapse. They are again and again resorting to this ordinance method in order to do something which should have been done earlier.

Regarding the other two, I have another objection. When they say that the 1964 Act is being extended, in the Bill itself the 1964 Act should have been given. Under the pressure of work in this House, hon. Members are required to look at the 1964 Act. And that is not the original 1964 Act because amendments have been incorporated in the Act itself. The 1964 Act itself says that it will expire in 1966. So, that Act should have been given in the Bill itself.

First of all, I do not know whether the Ministry or this Government consults astrologers for the purpose of ascertaining the changing views of the people of India. But I am sure that some of them consult the astrologers for election and Ministry purposes. When in 1964 this Bill came up, on behalf of my party it was stated that there are some of the criminals in the Treasury Benches still unhung. I will repeat it. Because, at that time the stand of my party was that there should be full control of essential commodities. They were too late in doing so.

At that time it was Shri C. Subramaniam who was piloting the Bill. As you know, many of them who were in the Treasury Benches then have been hung by the electorate, though some of them have tried to come back through the backdoor; still, they have been harmed.

It is necessary to control the black market, to control the money bags who try to get through various alleys to get profit to the detriment of the people at large. So, this power should be with the government. Government have sought to take it only for two years in 1964, three years in 1966 and now for another two years. Perhaps, this time the astrologers might have told them that the people of India will give up black-marketing once and for all in two years. Otherwise, how do you explain first two years, then three years and then again two years? The hon. Minister must have been told by some astrologer that the capitalists of India, the corrupt traders of India (not all traders) will give up blackmarketing and hoarding within two years. Otherwise, why don't they make it part of the permanent statute? This power should be with the government because blackmarketing will continue so long as capitalists continue in this country.

It has been argued by Shri Tapuria that if there is more demand, if the demand outstrips supply, then the prices will rise. That is correct. But the purpose of this Bill is to increase supply, to force the hoarder to release the supply. It is they who somehow suppress the supply, hoard it, and that is why the demand rises.

It has been argued rather very vehemently by the spokesmen of the Swatantra Party for the ladder. But we representing the ordinary people are for the queue. We want the queue. We do not want anybody to jump the queue. We do not want to allow anybody to touch the ladder to jump the queue. We want the queue.

It is true that bribery and corruption should be controlled. It is a matter of detailed administration. Shri Randhir Singh and others have referred to defects in administration. Everybody could welcome them. We all condemn defects in administration. But so far as the question of giving power to the Central and State Governments for punishing

the offenders summarily is concerned, I agree that it should be there. I welcome this Bill, though it is belated.

18 hrs.

STATEMENT RE: ATTEMPT ON THE LIFE OF SHRI JYOTI BASU

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Mr. Chairman, Sir, according to information received from the State Government, there was a deplorable incident at the Patna Railway Station today at about 8.15 A.M. when an unknown assailant fired a shot at Shri Jyoti Basu. Shri Jyoti Basu escaped unhurt, but one Ali Imam who had come to receive him was hit by a bullet and was killed. The assailant made good his escape. Immediate investigation was undertaken and one Surendra Prasad has been arrested by the police on suspicion. Investigation is in progress.

I spoke to the Chief Minister, Bihar, this morning and requested him to make a thorough probe into the matter. The State Government have informed me that necessary security arrangements have been made for Shri Jyoti Basu. Arrangements have also been made to maintain peace in the town. I also spoke to Shri Jyoti Basu and expressed my deep concern. I am sure, the House will join me in unreservedly condemning resort to violence which undermines the very basis of democracy and democratic institutions.

श्री छटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर):
 सभापति महोदय, क्या आप स्पष्टीकरण की इजाजत देंगे? यह एक हत्या का प्रयत्न स्टेशन पर हुआ था। केवल राज्य सरकार इसकी जांच कर सकेगी ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें रेलवे के अधिकारियों से पूछताछ करनी पड़ेगी, रेलवे स्टेशन पर वह किस तरह से निकल गया इसकी तह में जामा पड़ेगा। तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र की सहायता मांगी है? गृह मंत्री ने कहा कि सब लोग निन्दा करेंगे। इसमें कोई भी राय नहीं हो सकती है। मगर सभापति जी, यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई। वह भी स्टेशन पर